बिहार सरकार

# समाहरणालय, अरवल

(जिला स्थापना शाखा)

ई-मेल – dm-arwal.bih@nic.in
वेबसाइट - arwal.bih.nic.in
दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक - /स्था0 दिनांक -

**श्री सतीश कुमार सिंह (भा0प्र0से0), जिला पदाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता मे दिनांक 11.10.2018 को संविदा आधारित कार्यपालक सहायक के नियोजन से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–**

**उपस्थिति:– यथा पंजी।**

संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायक के नियोजन से संबंधित बैठक मे निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला पदाधिकारी, अरवल। | : | अध्यक्ष। |
| 2 | अपर समाहर्त्ता, अरवल। | : | सदस्य। |
| 3 | उप विकास आयुक्त, अरवल। | : | सदस्य। |
| 4 | जिला कल्याण पदाधिकारी, अरवल। | : | सदस्य। |
| 5 | जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अरवल। | : | सदस्य सचिव। |
| 6 | प्रभारी पदाधिकारी लोक सेवाओं का अधिकार। | : | सदस्य। |
| 7 | जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल। | : | सदस्य। |
| 8 | आई0टी0 प्रबंधक, अरवल। | : | आमंत्रित सदस्य। |

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा चयन समिति के सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

(क) 1. जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अरवल द्वारा बताया गया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त दायित्वों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की Online Reporting की व्यवस्था विकसित करने हेतु तथा अरवल जिले के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप कार्यपालक सहायक के पद पर संविदा पर नियोजनार्थ पैनल निर्माण करने हेतु Online Application दिनांक 31.08.2018 समय 5:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया गया है।

Online Application की विवरणी निम्न प्रकार है :–

| क्रमांक | आरक्षण कोटिवार | प्राप्त आवेदन की संख्या |
|---|---|---|
| 01 | अनारक्षित | 3048 |
| 02 | पिछड़ा वर्ग | 6705 |
| 03 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 5165 |
| 04 | अनुसूचित जाति | 3095 |
| 05 | अनुसूचि जनजाति | 276 |
| कुल :– | | **18289** |

चयन समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर प्राप्त Online Application की संख्या 18,२८९है। अभ्यर्थियों की संख्या एवं जिला मुख्यालय में उपलब्ध परीक्षा

केन्द्रों के दृष्टिगत प्रथम चरण में चयन का मानदण्ड मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत के के आधार पर होगी, जिसका Weightage निम्न होगा।

मैट्रिक –40 अंक (अधिकतम), इंटर –30 अंक (अधिकतम) एवं स्नातक –30 अंक (अधिकतम) कुल 100 अंक

इस प्रकार मैट्रिक, इंटरमिडिएट एवं स्नातक की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंको का निर्धारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.40, 0.30 एवं 0.30 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है, तो उसे **50%**X0.40=20 दिये जायेंगे। समान मेधा रहने पर उम्र के आधार पर मेधा निर्धारित की जायेगी। यानी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

1. प्रथम चरण में 50 अंक का लिखित जाँच परीक्षा एवं
2. द्वितीय चरण में 50 अंक का (हिन्दी एवं अंग्रेजी) कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट लिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रथम चरण में 1,737 (एक हजार सात सौ सैतीस) अभ्यर्थियों को लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) जाँच परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि लिखित जाँच परीक्षा में उर्तीण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में टाईपिंग टेस्ट, Ms Office, इंटरनेट इत्यादि लिया जायेगा।

2. चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि लिखित जाँच परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त सम्पन्न कराने हेतु अरवल जिला मुख्यालय स्थित तीन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करने हेतु दायित्व सौपा गया है।

3. चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 65 अंक से अधिक वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र (फोटो सहित) तैयार करने का दायित्व जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल का होगा। प्रवेश पत्र तैयार करने में आई0टी0प्रबंधक, अरवल भी सहयोग करेंगे।

4. चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि लिखित परीक्षा में उर्तीण अभ्यर्थियों से कम्प्यूटर टाईपिंग, हिन्दी, अंग्रेजी, Ms Office, इंटरनेट इत्यादि का टेस्ट विभिन्न पालियों में लिया जायेगा।

अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा अंक, टंकण परीक्षा अंक, इंटरनेट इत्यादि संबंधी जानकारी के अंको को जोड़ते हुए कुल प्राप्त अंको को अवरोही क्रम में सजाते हुए आरक्षण कोटिवार पैनल निर्माण करते हुए अंतिम मेधा सूची प्रकाशित किया जायेगा। अर्थात वह अभ्यर्थी जो आयोजित सभी परीक्षाओं में अधिकतम कुल प्राप्तांक लायेगा उसका नाम पैनल सूची क्रमांक 01 पर अंकित किया जायेगा एवं पैनल निर्माण हेतु Qualified न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पैनल सूची में नीचे रखा जायेगा।

5. चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षण कोटि के अनुसार 200 (दो सौ) अभ्यर्थियों का पैनल निर्माण किया जायेगा।

**अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।**

11/10/18

जिला पदाधिकारी
अरवल।

**ज्ञापांक :**2959**स्था0,** **अरवल** **दिनांक** 11.10.2018

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता, अरवल/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल/जिला स्थापना उप समाहर्ता, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, लोक सेवाओं का अधिकार अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल/आई0टी0, प्रबंधक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलपि :– एक प्रति रक्षी संचिका में।

11/10/18

जिला पदाधिकारी
अरवल।